

मुख्य अभियंता (निदेशक)
भौतिक प्रतिमान केन्द्र, वीरपुर।
(Email- cepmcwrdbirpur@gmail.com)

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना (NIQ)-04/2025-26

पत्रांक—.....02...../वीरपुर, दिनांक—.....06/01...../2026।

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भौतिक प्रतिमान केन्द्र, वीरपुर अंतर्गत विभागीय एवं अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन तथा उच्चाधिकारियों की बैठक में भाग लेने इत्यादि कार्यों हेतु भाड़े पर भौतिक प्रतिमान केन्द्र, वीरपुर के कार्यालय हेतु 01 अदद वातानुकूलित वाहन निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

1. कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :—दिनांक—07.01.2026
2. कोटेशन जमा करने की तिथि :—दिनांक—15.01.2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक
3. कोटेशन जमा करने का स्थान :—कार्यालय, मुख्य अभियंता (निदेशक)
भौतिक प्रतिमान केन्द्र, वीरपुर।
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :—दिनांक—15.01.2026 को अपराह्न 03:30 बजे तक।
5. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता :— उप निदेशक, अभियंत्रण सेवा प्रमंडल, भौतिक प्रतिमान केन्द्र, वीरपुर।

कोटेशन की तकनीकी शर्तें

1. वाहन का वैध वाणिज्यिक निबंधन प्रमाण—पत्र, अद्यतन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण—पत्र (पी0यू0सी0), अद्यतन रोड टैक्स, अद्यतन फिटनेस प्रमाण—पत्र तथा वाहन का वैध इंश्योरेंस कोटेशन के साथ समर्पित किया जाना होगा।
2. वाहन मालिक का आधार नम्बर, पैन नम्बर कोटेशन के साथ समर्पित किया जाना होगा।
3. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध व्यवसायिक ड्रायविंग लाईसेंस होना चाहिए।
4. कोटेशनदाता को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में उद्धृत करना होगा—

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	ईंधन रहित मासिक भाड़ा का दर (सभी करें यथा जी0सी0टी, आई0टी0 सहित)

नियम व शर्तें

1. भाड़े पर वाहन दिनांक—15.01.2026 से दिनांक—31.03.2026 तक रखने के लिए एकरारनामा किया जाएगा तथा संतोषजनक सेवा रहने पर अगले एक वर्ष के लिए एकरारित दर पर ही अवधि विस्तार किया जा सकता है।
2. वाहन का मॉडल 2019 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं वाहन अच्छी स्थिति एवं कार्यरत अवस्था में होना चाहिए।
3. वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ता/फर्म का वैध पैन नम्बर होना चाहिए।

✓

4. वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित), साफ-सफाई एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मत, तौलिया इत्यादि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ता/फर्म द्वारा किया जाएगा।
5. वाहन चालक का मानदेय भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि की व्यवस्था वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ता/फर्म की होगी।
6. वाहन का वैध प्रमाण-पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (पी0यू0सी0), रोड टैक्स, फिटनेस प्रमाण-पत्र तथा इंश्योरेंस आदि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार अद्यतन रखने की जिम्मेदारी वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ता/फर्म की होगी।
7. नियमानुकूल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ता/फर्म की होगी।
8. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्रायविंग लाईसेंस होना चाहिए।
9. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेवारी वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ता/फर्म की होगी।
10. वाहन के उपयोग के विरुद्ध मात्र किराया (ईंधन रहित) देय होगा।
11. वाहन के उपयोग के लिए लौगबुक का संधारण वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ता/फर्म की जवाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर वाहन का मासिक किराया ईंधन रहित भुगतान किया जायेगा।
12. मासिक न्यूनतम दर जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा स्वीकृत दर के बराबर या न्यूनतम उद्धृत दर के कोटेशनदाता के साथ ₹1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाएगा।
13. आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग दिन एवं रात्रि में किया जा सकता है, तथा सरकारी कार्य निष्पादन के क्रम में वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता है एवं रह सकता है। इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/किराया का दावा मान्य नहीं होगा।
14. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ता/फर्म द्वारा निजी या अन्य व्यवसायिक कार्यों में नहीं किया जायेगा।
15. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा।
16. वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ता/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दो गुणे दर से कटौती कर ली जाएगी।
17. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये ईंधन (डीजल/पेट्रोल) अथवा 10 कि०मी० प्रति लीटर में से जो भी अधिक होगा मान्य होगा।
18. आमंत्रित कोटेशन को बिना बताए रद्द या अस्वीकृत किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
19. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध रहने की स्थिति में ही भुगतान का दावा मान्य होगा।
20. नियमानुसार इनकम टैक्स की कटौती भुगतान की जाने वाली राशि से कर ली जायेगी।
21. इच्छुक वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ता/फर्म उक्त क्रमांक-1 से 21 तक शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नौटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक-03, 06, 07 एवं 08 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति के साथ निर्धारित प्रपत्र में अपना कोटेशन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करेंगे।
22. कोटेशन खोलने की निर्धारित तिथि को कोटेशन खोले जाने के समय वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ता/फर्म या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। अनुपस्थित रहने की स्थिति में बाद में उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

23. सभी वांछित कागजात सही पाये जाने पर एवं एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक-15.01.2026 को अपराह्न 04:00 बजे वैध कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ता/फर्म का चयन किया जाएगा। वाहन मालिक/ आपूर्तिकर्ता/फर्म या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति/अनुपस्थिति में लॉटरी किया जायेगा। इस संबंध में बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी अथवा कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

५१/५५/०६/०१/२५

उप निदेशक,
अभियंत्रण सेवा प्रमंडल,
भौतिक प्रतिमान केन्द्र, वीरपुर।

ज्ञापांक-.....०२...../वीरपुर दिनांक-.....०६/०१...../२०२६।

प्रतिलिपि:- सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा लोकप्रिय राष्ट्रीय/स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु समर्पित।

५१/५५/०६/०१/२५

उप निदेशक

ज्ञापांक-.....०२...../वीरपुर दिनांक-.....०६/०१...../२०२६।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर/सुपौल/जिलाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं सूचना पट पर प्रदर्शित करने हेतु समर्पित।

५१/५५/०६/०१/२५

उप निदेशक

ज्ञापांक-.....०२...../वीरपुर दिनांक-.....०६/०१...../२०२६।

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर/पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर/पूर्वी तटबंध प्रमंडल-२ वीरपुर/शीर्ष कार्य प्रमंडल, वीरपुर/अधीक्षण अभियंता, कोशी बराज अंचल, वीरपुर/अधीक्षण अभियंता, रूपांकण, आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, वीरपुर/मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

५१/५५/०६/०१/२५

उप निदेशक